

भंवरलाल बनाम मदनलाल, अपील संख्या 2017/00294
आदेश दिनांक 05.06.2018

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांटस श्री मोहित सैन एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील वापिस (विड्रोल) लेने बाबत पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपील में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थीगण/अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और अपील को विड्रो करना चाहते हैं इसलिए अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जावें। अभिभाषक रेस्पोजेन्ट श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि अपील विड्रो की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।